

मध्य प्रदेश लोक एवं नजिी संपत्तकके नुकसान का नववारण एवं वसूली अधनियम, 2021

चरचा में क्योँ?

5 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश वधि-वधायी मंत्री डॉ. नरोत्तम मशिरा ने बताया किराजपत्र में प्रकाशन के साथ ही मध्य प्रदेश लोक एवं नजिी संपत्तकको नुकसान का नववारण एवं नुकसान की वसूली अधनियम, 2021 तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

प्रमुख बदि

- उल्लेखनीय इस अधनियम को 3 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमतिप्रदान की गई।
- उन्होंने कहा किराजपत्र, हड़ताल, बंद, दंगों (सांप्रदायिक या अन्यथा), लोक अशांति, अभ्यापत्तक या इसके समान गतिविधियों के नाम पर सार्वजनिक तथा नजिी संपत्तकको बड़े स्तर पर नुकसान पहुँचाने वालों के वरिद्ध कानून सममत सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
- वधिमंत्री डॉ. मशिरा ने बताया किराजपत्रियों को नुकसान पहुँचाने में संलपित रहने वाले लोगों से कानूनन जरमाना वसूली का प्रावधान भी कानून में है। संपत्तकके नुकसान की राशिके नरिधारण और दावे के लयि दावा अधिकरण का गठन भी प्रावधानति है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/madhya-pradesh-prevention-and-recovery-of-damage-to-public-and-private-property-act,-2021>